

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/ए-1025/2019/664

दिनांक - 31/07/19

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ0 14(1) एफ डी./नियम/2013-11 दिनांक 28.06.13 एव राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम 2017 एव वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ15 (1) एफ डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एव 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स-1 एव नर्स-2 जिन्होंने 09, 18 एव 27 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार आशासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है -

क्र.स.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	देय चयनित वेतन/पै मैट्रिक्स पर पूर्ण सेवा अवधि	वर्तमान में प्राप्त कर रहे पै मैट्रिक्स लेबल	देय पै मैट्रिक्स लेबल
1	लोकेश कुमार गुप्ता	जयपुर द्वितीय	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
2	अभिषेक	जोधपुर	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
3	रामप्रसाद	जोधपुर	09.04.08	09.04.17 09 वर्ष	L-11	L-12
4	सुभाष वर्मा	बीकानेर	18.08.09	18.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
5	पृथ्वीराज सिंह	जयपुर	25.05.87	12.01.18 27 वर्ष	L-13	L-14
6	राजेन्द्र कुमार भीणा	कोटा	17.08.09	17.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
7	मिथलेश कुमार मीना	करौली	21.02.09	21.02.18 09 वर्ष	L-11	L-12
8	झाबरमल	सीकर	13.03.92	13.03.19 27 वर्ष	L-13	L-14
9	राजकुमार रवर्णकार	भीलवाडा	12.08.09	12.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
10	ज्ञानेन्द्र कुमार जैन	भीलवाडा	18.05.87	18.05.14 27 वर्ष	9300-34800 5400	6000
11	प्रदीप कुमार	अजमेर	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
12	बीरमदयाल	कोटा	21.08.09	21.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
13	मदनलाल	पाली	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
14	राधेश्याम चौहान	पाली	21.08.09	21.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
15	छगनलाल धाकड	चित्तौड़गढ़	28.02.92	28.02.19 27 वर्ष	L-13	L-14
16	सन्तोष कटारा	प्रतापगढ़	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
17	कन्हैया लाल धाकड	चित्तौड़गढ़	29.02.92	29.02.19 27 वर्ष	L-13	L-14

18	गनोज कुमार यादव	अलवर	03 05 99	03.05 17 18 वर्ष	L-12	L-13
19	राजेश अरोड़ा	जैसलमेर	11.06 90	11 06 17 27 वर्ष	9300-34800 5400	6000

नोट:- यदि किसी कार्मिक के दिनांक 1.6.2002 के पश्चात तीसरी संतान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।
दिनांक - 31/07/19

क्रमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / एसीपी / ए-1025 / 2019 / 664

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर / जोधपुर / भरतपुर / उदयपुर / अजमेर / कोटा।
- 2 सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- 3 मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि क स.10 पर अंकित कार्मिक का चयनित वेतनमान प्रकरण 5 वर्ष पश्चात् भेजने के कारणों की सम्पूर्ण जानकारी से निदेशालय को अवगत करावें तथा दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करे।
- 5 संबन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 6 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
- 7 आदेश पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।